## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103004022016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-411/16</u> <u>संस्थापित दिनांक-14.10.16</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वार	Γ:-					
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।						
				3	भिय	गोजन
विरुद्ध						
01–छत्तू उर्फ सदर	रसन पुत्र	कन्हैया	पाल	उम्र	50	साल
निवासी देवल खो।						
					.आ	रोपी
राज्य द्वारा	:- श्री र	सुदीप श	ार्मा, ए	ु.डी.प	ो.ओ.	.
आरोपी द्वारा	:- श्री द	रीपक %	गेवास्त	ाव अ	धिव	न्ता i

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 21.07.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 294, 341, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 341, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी विनोद ने दिनांक 16.09.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह हैंडपंप पर नहा रहा था तब छत्तू पाल आया और उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगा और बोला कि तू हैंडपंप पर क्यों नहा रहा है। फिर उसने कहा कि शामिल हैंडपंप है तो छत्तू ने उसके सिर में सामने से कुल्हाडी से मारी जिससे उसे चौट आई और फिर कुल्हाडी की मूंद से भी मारपीट की जिससे उसे चोट आई। वहां मौजूद लोगों ने उसका बीच बचाव किया। फिर आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने जाने पर से जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 447/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 324, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 324, 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.09.2016 को समय 09.00 बजे हैंडपंप के पास ग्राम देवलखो पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी विनोद पाल को कुल्हाडी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 विनोद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 विनोद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से मामूली वाद—विवाद व कहासुनी हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ धक्का—मुक्की कर दी थी। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसे किसी वस्तु से नहीं मारा। उक्त साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराना बताया है तथा इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सिर में कुल्हाडी से मारा था। इस प्रकार प्रकरण में उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने उसे कुल्हाडी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

1

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)